

नीलामी की शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020-2021 के लिये चाय, हलवाई, चाटफल आदि व फोटो स्टेट आदि के स्थान की नीलामी दिनांक 26-03-2020 को प्रातः 10:30 बजे जिला एवम् सत्र न्यायालय परिसर में स्थित चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नीलामी के नियम तथा शर्तें इस प्रकार हैं—

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी जोकि पिछले वर्ष 2019-2020 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. बोली जिसके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
4. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्योरिटी-मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तों के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।
7. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
8. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ठेकेदार को दुकान के आस-पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
10. पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेंगे इस सम्बन्ध में उन्हें एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।
11. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे वह खाद्य अपमिश्रित एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
12. खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एल० पी० जी० गैस का प्रयोग करेंगे और किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेंगे।

13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा किया कलाप में संलिप्त रहेगा।
14. ठेका शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्च पर खाली कराकर कब्जा लिया जावेगा और दुकान पुनः नीलामी/आवंटन योग्य होगा।
15. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेंगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करेंगे।
16. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।
19. कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार के गत्ते/प्लास्टिक के ग्लास एवं बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा।
20. नीलामी प्रक्रिया में दुकान का ठेका स्वीकृत हो जाने पर बोलीदाता को ठेका राशि की 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तुरन्त करना होगा तथा शेष धनराशि का भुगतान 7 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमानत की जमा धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
21. सभी दुकानदारों को अपने नाम से विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन लेना होगा। जिसका उन्हें नियमित मासिक भुगतान करना होगा। भुगतान के सम्बंध में सूचना यथा समय नजारत अनुभाग में देनी होगी।
22. किसी भी दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के आगे वाहन इत्यादि को खड़ा नहीं कराया जायेगा।
23. किसी भी दुकानदार द्वारा दुकानों में अनावश्यक रूप से तोड़फोड़ नहीं की जायेगी।

Seen

(हरबंस नारायण)

सदस्य/नीलामी समिति/
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-18, मेरठ।

(प्रभु नारायण पोण्डेय)

सदस्य/नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण
न्यायालय सं0-02

(पंकज मिश्र)

अध्यक्ष/नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट
मेरठ।

DISTRICT JUDGE
MEERUT

Auction list of the shops situated in Civil Court Meerut premises for the Financial Year 2020-21

SL. No.	Shop No.	Nature of shop	Name of the Highest Bidder for F.Y. 2019-20	Max. Bid amount for F.Y. 2019-20	Amount of Security 20% F.Y. 2020-21	Min. Bid Amount for F.Y. 2020-21 10%	Max. Bid Amount for F.Y. 2020-21 10%
1	1	Tea	Sri Nagendra Kr. Gupta	71100	14300	78210	
2	2	Paan	Sri Ameer Ahmad	89000	17800	97900	
3	3	Tea	Vacant	118250	23700	130075	
4	4	Shakahari Bhojnalya	Sh. Mohd. Nadeem	187100	37500	205810	
5	5	Tea	Vacant	128975	25800	141873	
6	6	Bhojnalya	Sh. Jiley	154500	30900	169950	
7	7	Tea	Sh. Pawan Kumar	127850	25600	140635	
8	8	Halwai	Vacant	195800	39200	215380	
9	9	Bhojnalya	Sri Vikas Kumar	168600	33800	185460	
10	10	Stationary	Sri Ramakant	139500	27900	153450	
11	11	Tea	vacant	124013	24900	136415	
12	12	Stationary	Sri Ishwar Singh	128500	25700	141350	
13	13	Tea	Vacant	319330	63900	351263	
14	14	Photostate	vacant	205707	41200	226278	
15	15	Meetha Namkeen	Sri Devendra Kumar	150000	30000	165000	
16	16	Chat	vacant	118696	23800	130566	
17	17	Stationary	Sh. Aamir	144500	28900	158950	
18	18	Photostate	vacant	172728	34600	190001	
19	19	Coffee	vacant	120057	24100	132063	
20	20	Photostat	vacant	187079	37500	205787	
21	21	Fruit Chat	vacant	141728	28400	155901	
22	22	Paan	Sri Sanjay kumar	100000	20000	110000	
23	23	Juice	vacant	132979	26600	146277	
24	24	Paan	Sri Shyam Chaurasia	129000	25800	141900	
25	25	Paan	vacant	104060	20900	114466	
26	26	Photostate	Sri. Monu Saxena	65000	13000	71500	
27	27	Paan	Sri Naveen Kumar	551000	110200	606100	
28	28	JalPaan	vacant	273787	54800	301166	
29	29	Photostate	Sri Vipin Kumar	242000	48400	266200	
30	35	Paan	Sri Sukhbeer	26700	5400	29370	
Total				4817539	964600	5299296	

See
 (हरबंश नारायण)
 सदस्य/नीलामी समिति/
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 न्यायालय सं०-18, मेरठ।

Pradeep
 (प्रभु नारायण पाण्डेय)
 सदस्य/नीलामी समिति/
 विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण
 न्यायालय सं०-02

Pankaj
 (पंकज मिश्र)
 अध्यक्ष/नीलामी समिति/
 विशेष न्यायाधीश ई०सी० एकट
 मेरठ।

**DISTRICT JUDGE
 MEERUT**